रजिस्टर्ड नं० पी०/एम० एम० 14

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 21 सितम्बर, 1979/ 30 भाद्रपद, 1901

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हि० प्र०

अधिसूचना

मण्डी, 14 सितम्बर, 1979

क्रमांक पी० सी० एच० (म०) 4-15/78.—यत: विकास खण्ड करसोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी में ग्राम पंचायत शाकरा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 9(1) व हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 19 (क) के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या 1, दिनांक 18-8-79 द्वारा निम्नलिखित पंच का सहविकल्प किया है ।

1. श्रीमती गौरी देवी पत्नी श्री देबू राम, निवासी थली, डाकखाना सोनी, तहसील करसोग, जिला मण्डी ।

अतः मैं, ज्ञान सिंह चम्बयाल, उपायुक्त, मण्डी जिला, मण्डी, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 19 क (2) में प्राप्त हैं एतद्द्वारा जन-साधारण की सूचना के लिए उपरोक्त सहविकल्पित महिला पंच का नाम अधिसूचित करता हूं ।

जी0 एस0 चम्बयाल,
उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी ।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 17 सितम्बर, 1979

संख्या 3-11/73-इलैक.—भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या हि0 प्र0-वि0 स0/42/77(5), दिनांक, 22 अगस्त, 1979 संवादी श्रावण 31, 1901 (शक), जोकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10(क) के अधीन जारी किया गया है, जनसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
हरि शंकर दुबे,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश ।

भारत निर्वाचन आयोग

अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001,
22 अगस्त, 1979
तारीख—
श्रावण 31, 1901 (शक).

आदेश

सं0 हि0 प्र0 वि0 स0/42/77 (5).—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिए 42-राजगीर (अ0 जा0) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गुरपाल सिंह, ग्राम व डाकघर पालमपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गुरपाल सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

आदेश से,
अ0 कु0 चटर्जी,
अवर सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।